अनुसूची–14 फर्म सं0–563

ओदश क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

18.01.19

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्त्ता,गुमला

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 – **10/2018–19**

बुधन राम उराँव वगै0 .... अपीलार्थी

बनाम

सुखु उराँव .... प्रतिपक्षी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद बुधन राम उराँव वगैरह, पिता – विश्वनाथ उराँव, ग्राम – करमटोली, थाना वो जिला – गुमला द्वारा अंचल अधिकारी, गुमला के दाखिल–खारिज वाद संख्या – 347 R 27/2015–06 में पारित आदेश के विरूध लाया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
करमटोली	55	117	0.29 एकड़
		119	0.23 एकड़
		120	0.45 एकड़
		121	0.16 एकड़
		123	0.30 एकड़
		कुल	**1.35 एकड़**

प्रथम पक्ष द्वारा अपने अपील आवेदन में दावा किया है कि प्रश्नगत भूमि R.S खतियान के अनुसार स्वंय का है तथा अंचल अधिकारी के स्वीकृत दाखिल–खारिज वाद को खारिज किया जाय।

आवेदन के आलोक में विपक्षी को सूचना दिया गया।

द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना लिखित जवाब दाखिल किया एवं बहस में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि उन्हे अपर समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय में SAR वाद अपील केश संख्या – 08/96–97 मुरारी प्र0 केशरी बनाम सुखु उराँव में पारित आदेश के आलोक में विधिवत दिनांक – 16.07.97 को दखल–देहानी दिलाया गया तथा अंचल अधिकारी, गुमला से दाखिल–खारिज कर लगान रसीद एवं शुद्धि पत्र भी निर्गत किया गया है।

दखल–कब्जा विपक्षी सुखु उराँव का ही है। अतएव अपील अस्वीकृत किया जाय।

साक्ष्य में प्रस्तुत कागजात की छायाप्रति :–

(i) अपर समाहर्त्ता, गुमला SAR अपील केश – 08/96–97 में पारित आदेश – 4पन्ना।

(ii) दिनांक – 16.07.97 दिलाया गया दखल–देहानी – 1 पन्ना।

(iii) शुद्धि–पत्र की प्रति – 1 पन्ना।

(iv) एम वाद संख्या – 289/18 की आदेश की प्रति – 2 पन्ना।

(v) अंचल अधिकारी, गुमला का जांच प्रतिवेदन – 2 पन्ना।

(vi) झारखंड उच्च न्यायालय 2017 (4) पेज नं0 – 37 JHC एवं 42 की प्रति।

समीक्षा :– अपील आवेदन एवं द्वितीय पक्ष के जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि सुखु उराँव द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का अपील आवेदन के साथ अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा स्वीकृत दाखिल–खारिज के पारित ओदश का ~~मुद्रित~~ प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं कर अपील आवेदन दायर किया गया है तथा अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या – 347 R 27/2015–06 में पारित आदेश को

चुनौती दिया गया है जो नियम संगत एवं प्रतिकुल है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त समीक्षा से मैं प्रथमतः इस तथ्य पर विचार करने पर मैं यह पाती हूँ कि सुखु उराँव विधिवत SAR के तहत दखल–कब्जा पाया है। इस परिस्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से अपील ग्रहण करना न्योयोचित नहीं होगा

अतः अपील **अस्वीकृत** की जाती है।

लेखापित

18/01/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

18/01/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।